तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
27/11/25	हमने उभयपक्षों की बहस प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी पर सुनी गई। प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी की बहस का विवेचन किया गया है:– प्रार्थी/प्रतिवादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादीगण ने जमाबन्दी में दज हक हिस्सा के अनुसार खाता विभाजन का वाद पेश किया है अनवानी वाद में दर्ज भूमि बाबत प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने एक वाद नत्थुराम बनाम कृष्णलाल वाद संख्या 1085/2025 अन्तर्गत धारा 88 ,188 के तहत पेश किया जाकर वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण जो सयुक्त खाता में दर्ज है के हिस्सा कस्सी सही तौर से दर्ज नही है हिस्सा कस्सी सही करवाने का वाद पेश किया गया है जो न्यायालय में विचाराधीन है प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद में वादीगण एव प्रतिवादीगण के हिस्से सही तोर से दर्ज नही हो जाते तब तक खाता विभाजन नही किया जा सकता है इसलिये अनवानी वाद की कार्यवाही को स्थगित फरमाया जावे। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद नत्थुराम बनाम कृष्णलाल आदि वाद संख्या 1085/2025 में विवादित भूमि एव पक्षकार एक सम्मान है इसलिये दोनो वाद सम्मान्तर नही चल सकते है इसलिये अनवानी वाद की कार्यवाही को स्थगित फरमाई जावे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। वादी/प्रतिवादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहरातें हुए निवेदन किया की हस्तगत वाद सन 2021 से न्यायालय में जैरकार हे जो जबाब हेतु जैरकार हे नत्थुराम ने नया वाद सन 2025 मं पेश किया है प्रार्थी की हिस्सा कस्सी सही तौर से दर्ज है नया वाद मनगढत तथ्यो पर आधारित है केवल वाद में देरीना करने के लिये पेश किया गया है हस्तगत वाद पूर्व से विचाराधीन है हस्तगत वाद बाद में पेश किया गया है इसलिये बाद में पेश किये गये वाद की कार्यवाही को स्थगित रखा जावे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावे। हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया हस्तगत वाद वादी द्वारा सन 2021 में सयुक्त खाता की भूमि का खाता विभाजन करवाने का पेश किया गया था जिसमें प्रार्थी/प्रतिवादी उपस्थित है एव जबाब हेतु विचाराधीन है प्रार्थी नत्थुराम ने वाद 2025 में पेश किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 ,188 के तहत पेश कर सयुक्त खाता में दर्ज हिस्सा कस्सी गलत तौर से दर्ज है को सही करवाने का पेश किया गया है। प्रार्थी/नत्थुराम ने राजस्व रिकार्ड मे दर्ज वाद भूमि जो सयुक्त खाता में दर्ज है में सयुक्त खातेदारो की हिस्सा सही तौर से दर्ज ना होने के कारण सही तौर से दर्ज करवाने का पेश किया गया है वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार खाता विभाजन किया जावेगा का तो हिस्सा कस्सी सही करवाने का वाद का औचित्य ही खत्म हो जावेगा वादी का कथन है कि भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा सयुक्त खाते की भूमि में हिस्सा कस्सी में परिर्वतन किया गया है जिसे संशोधन करवाने का पेश किया गया है हस्तगत वाद में यदि [illegible] किया जावेगा तो प्रार्थी/नत्थुराम के वाद का औचित्य [illegible] हो जावेगा और विवाद की स्थिति पैदा हो जावेगी जिससे मुकदमा बाजी बढेगी जो न्यायो[illegible] नही है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि जो सयुक्त खाता में दर्ज है	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:54:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जिसके खाता विभाजन का वाद है में सभी काश्तकारो की हिस्सा सही होने के उपरान्त खाता विभाजन किया जाना विधिसम्मत है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार हस्तगत वाद जो खाता विभाजन का वाद है एवं प्रार्थी नत्थुराम ने वाद भु0 प्रबन्ध विभाग के द्वारा पक्षकारो की हिस्सा कस्सी गलत तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है को सही करवाने का पेश किया गया है सयुक्त काश्तकारो के नाम दर्ज हिस्सा कस्सी सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के उपरान्त ही खाता विभाजन किया जाना न्यायोचित है ताकि पक्षकारो के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सके प्रार्थी का प्रार्थना पत्र परिस्थितियो के अनुरूप स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 10 सीपीसी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर हस्तगत वाद की आगामी कार्यवाही वाद संख्या 1085/2025 अनवानी नत्थुराम बनाम कृष्णलाल के निस्तारण तक स्थगित रखी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27/11/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:54:40 IST
Reason: SelfAttested